

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा

जिला - झालावाड़ (राज.)

गीताबाड़ी

बनाम

कन्हाबाड़ी

किस्म मुकदमा

प्राप्य

नं.


314

सन्

2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
21/11/25	प्राप्य द्वारा 151 ए.ए. का पेशा हुआ प्रकरण बाद जमाने सहित दूर रजिस्टर किया जाने पत्रावली वास्ते मूल वाद सं. 01/2025 के साथ उचित कोडेशार्थ दिनांक 28/11/2025 को पेश हो। [Signature] 21/11/25	
28/11/25	पत्रावली पेश हुई वकील जामी उपस्थित। मूल पत्रावली तलब हुई। संलग्न प्राप्य किया जाने पत्रावली वास्ते मूल वाद कोवलयकार्थ व कोडेशार्थ दिनांक 09/12/2025 को पेश हो। [Signature] 28/11/25	
09/12/25	पत्रावली पेश हुई वकील जामी उपस्थित। द्वारा 151 ए.ए. के प्राप्य पर बरस चुकी गई। इस न्यायालय के मूल निर्णय व उचित दिनांक [Signature]	



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>16.09.2025 का कवलोकन किया गया। प्रती द्वारा चाहा गया classical or typing mistake होने से न्यायिक में rectify किया जाना न्यायोचित होगा। अतः प्रती का ज.म. धारा 151 CPC कांशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। संशोधित निर्णय व डिक्री जारी हो। पत्रावली केवल शुभार होकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के लाभ संलग्न ही।</p> <p style="text-align: center;">  09/12/25 उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा, जिला जालंधर (सक-1) </p>	

